Website: www.rssrashtriya.org E-mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय: 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302001
संरक्षक: सर्वश्री राजनारायण शर्मा, उमराव लाल वर्मा, रामावतार शर्मा, प्रहलाद शर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

रमेश चन्द्र पुष्करणा	सम्पत सिंह	महेन्द्र कुमार लखारा
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	महामंत्री
9460057712	9413344625	9460209114

क्रमांक: रा.शि.संघ (राष्ट्रीय)/महामंत्री/020 दिनांक- 14/07/2025

श्रीमान भजन लाल जी शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री महोदय
राजस्थान सरकार जयपुर।

विषयः— उपखण्ड अधिकारियों द्वारा शिक्षा अधिकारियों पर नियम विरूद्ध कार्यवाहियों पर रोक और गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर अंकुश लगाने के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संगठन द्वारा हमेशा राष्ट्रहित और समाज हित में कार्य किये जा रहे हैं। आज पूरा शिक्षा विभाग राज्य द्वारा राष्ट्रहित में सौंपे गये सभी कार्यों के निष्पादन में सतत लगा हुआ है फिर भी प्रदेश में कई उपखण्ड अधिकारियों द्वारा शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं की बिना जानकारी के विद्यालयों में निरीक्षण कर शिक्षा विभागीय कार्य मे बाधा उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा हैं। साथ ही नियमानुसार विभागीय कार्य संपादित कर रहे शिक्षकों और शिक्षा विभागीय अधिकारियों यथा प्रधानाचार्य, सीबीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी आदि को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम—1958 के नियम—17 के तहत आरोप पत्र भी जारी किये जा रहे है जो अनुचित व विधिक शून्य है।

महोदय वर्तमान में घटित कुछ घटनाओं से उक्त अधिकारियों की संवेदनहीनता और विभागीय कार्यप्रणाली से अनविज्ञता दृष्टिगत होती है, यथा—

1. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोगुंदा द्वारा जारी ज्ञापन **क्रमांकः स्था/2025/1234—36 दिनांक 11.07.2025 राजकाज रेफरेंस 16514464** एवं अन्य के सन्दर्भ में श्रीमती सुधा शर्मा प्रधानाचार्य राउमावि ओबरा कलां उदयपुर को उक्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षको को प्रवेश, टीसी एवं वेतन बिल का कार्य करने, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का वितरण करने जैसे शिक्षा विभागीय कार्यों को निष्ठापूर्वक कर रहे शिक्षकों और प्रधानाचार्य को गैर—शैक्षणिक और राजकीय कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता करार देते हुये राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम—1958 के नियम—17 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया है।

जबकि प्रदेश मे उपखण्ड अधिकारियों के माध्यम से ही शिक्षको को बीएलओ नियुक्त किया जाकर प्रतिदिन बीएलओ एप पर ऑनलाइन कार्य, सर्वे, खाद्य सुरक्षा योजना में आवदेनकर्ताओं का भौतिक सत्यापन जैसे गैर–शैक्षणिक कार्यों को करने के लिए मजबूर किया जाता है, इस कार्य मे मामूली देरी पर कई शिक्षकों को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–17 के तहत नोटिस जारी कर प्रताड़ित किया जाता है।

2. इसी तरह का प्रकरण उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट पूगल द्वारा जारी ज्ञापन **क्रमांकः एसडीओ/पूगल/ज्ञापन/2024/3015 दिनांक 19.062025** द्वारा जारी पत्र से भी दृष्टिगत होता है।
महोदय इस प्रकार की घटनाओं में अधिकारियों द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना **क्रमांकः प.3(1) कार्मिक/क–3/जॉच/2004 जयपुर दिनांक 18.02.2020** के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–17 के तहत लघु शास्तियां अधिरोपित करने का ही अधिकार शासन द्वारा दिया गया है। लेकिन दोनों प्रकरणों में उपखण्ड अधिकारियों द्वारा अधिसूचना के विपरीत जाकर शिक्षा अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुये आरोप पत्र जारी किये गये हैं।

अतः महोदय जी से संगठन का आग्रह है कि नियमानुसार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये दोनों ही आरोप पत्र वापस लेते हुये उपखण्ड अधिकारियों द्वारा शिक्षा अधिकारियों पर नियम विरूद्ध कार्यवाहियों पर रोक और गैर–जिम्मेदार अधिकारियों पर अंकुश लगाने की कार्यवाही करावें।

इति शुभम्।

भवदीय

(महेंद्र कुमार लखारा)
महामंत्री